

न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 169/2019

रोशन अली पुत्र नबाब अली खां वार्ड नम्बर 17 बिसाउ जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) कलेक्ट्रेट झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 11.11.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.10.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 169/2019 पर दिनांक 16.10.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) कलेक्ट्रेट झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) कलेक्ट्रेट झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) कलेक्ट्रेट झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019/1519-20 दिनांक 21.10.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) कलेक्ट्रेट झुंझुनू ने पत्रांक /सूअ./19/111 दिनांक 08.11.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 107 दिनांक 25.10.2019 के द्वारा भिजवायी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) कलेक्ट्रेट झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय से संबंधित नहीं है। जिसकी सूचना उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 107 दिनांक 25.10.2019 के द्वारा भिजवायी जा चुकी है। अपीलार्थी संबंधित लोक सूचना अधिकारी के यहां आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार) कलेक्ट्रेट झुंझुनू को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में निर्धारित समय अवधि में सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)

जिला कलेक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुंझुनू

